न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

सप्लाई विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 40 / 2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 1081

प्रार्थी :–
पुष्पराज पालीवाल प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–
आनन्द प्रकाश अरोड़ा पुत्र धर्मपाल अरोड़ा, जाति अरोड़ा, निवासी गोपाल भवन नागौरी गेट, जोधपुर। फर्म – अरोड़ा स्वीट एण्ड नमकीन, बनाड़ रोड़, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–
अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 17.05.2024

प्रार्थी पुष्पराज पालीवाल, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी **आनन्द प्रकाश अरोड़ा पुत्र धर्मपाल अरोड़ा, जाति अरोड़ा, निवासी गोपाल भवन नागौरी गेट, जोधपुर फर्म – अरोड़ा स्वीट एण्ड नमकीन, बनाड़ रोड़, जोधपुर** के विरूद्ध पेश करते हुए जाहिर किया कि दिनांक 20.12.2022 को अप्रार्थी की प्रतिष्ठान की आकस्मिक जांच करने पर प्रतिष्ठान पर 2 इण्डेन, 2 एच.पी. व 1 रिलायंस के कुल 05 व्यावसायिक सिलेण्डर पाए गए। सिलेण्डरों के संबंध में अप्रार्थी द्वारा कनेक्शन डायरी प्रस्तुत नहीं की गई। जिनका प्रतिष्ठान संचालक की उपस्थिति में वजन करवाने पर 01 सिलेण्डर भरा एवं शेष में कम मात्रा में गैस पाई गई। मौके पर बिना कनेक्शन के व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का पाया जाना स्पष्ट करता है कि इन सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व इस्तेमाल किया जा रहा था। अतः बिना कनेक्शन के व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:35:37 IST
Reason: SelfAttested

का अवैध भण्डारण व इस्तेमाल होने से मौके से कुल 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करने के कारण जब्त किया गया। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त 5 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का अधिग्रहण किया गया तथा प्रतिनिधि मारवाड़ गैस सर्विस मानजी का हत्था के मैनेजर हनुमानराम पुत्र भल्लाराम विश्नोई को सुपुर्दगी में दिये गये। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	सिलेण्डर का एस. आर. क्रमांक	सरकारी तेल कम्पनी का नाम	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टैयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्रा में	शुद्ध गैस का भार (5–4) (किग्रा में)
1.	007599E	इण्डेन	19.700	20.800	1.100
2.	0063	एच0 पी0	19.200	20.100	0.900
3.	085357	इण्डेन	19.700	28.200	8.500
4.	087	एच0 पी0	19.200	19.400	0.200
5.	–	रिलायन्स	–	37.800	18.00

उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का अवैद्य भण्डारण व अवैद्य उपयोग करना द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तसुदा 5 गैस सिलेण्डर को राजसात् करने की प्रार्थना की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी को बहस हेतु कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में आई जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:35:37 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के कोई वैद्य कागजात अप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किये गये है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करने व उनका अवैद्य उपयोग करने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a)(b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त गैस सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:35:37 IST
Reason: SelfAttested